



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15062020-219940
CG-MH-E-15062020-219940

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 15, 2020/ज्येष्ठ 25, 1942

No. 198]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 15, 2020/JYAISTHA 25, 1942

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

सूचना

मुम्बई, 10 जून, 2020

फा. सं. सीसी /एस&बी /एसए /79.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्य करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की आमसभा दिनांक 14 जुलाई 2020, मंगलवार को 03.00 बजे अपराह्न स्टेट बैंक ऑडिटोरियम, स्टेट बैंक भवन कॉम्प्लेक्स, मादाम कामा रोड, मुंबई-400021(महाराष्ट्र) में आयोजित की जाएगी। अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहें और स्थानीय प्राधिकारियों ने प्रत्यक्ष सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी तो बैठक आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम (ओएवीएम) सुविधा से आयोजित की जाएगी:

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करने और विचार करने पर यदि ठीक पाया गया, तो उन्हें संशोधन के साथ या संशोधन के बिना एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (यहां इसके बाद इसे 'अधिनियम' कहा गया है) के साथ पठित भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियमन, 1955 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) तथा/अथवा कोई अन्य प्राधिकरण, चाहे भारत में या विदेश में हो, के अनुमोदन, सहमति और संस्वीकृति, यदि कोई हो (हों), के तहत और उससे संबंधित ऐसे निबंधनों, शर्तों और संशोधनों के तहत जो उनके अनुसार ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए दिए जाएंगे और जिनके लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक बोर्ड (यहाँ इसके पश्चात 'बोर्ड' कहा गया है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियम, 1955 के विनियम 46 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत गठित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति) और केंद्रीय बोर्ड द्वारा

अपने अधिकारों (इस संकल्प द्वारा दिए गए अधिकारों) का प्रयोग करने के लिए विधिवत प्राधिकृत निदेशकों की कोई अन्य समिति सहमत होगी और सेबी (पूंजी और प्रकटीकरण शर्तें जारी करना विनियम, 2018) ("आईसीडीआर विनियम ") के रूप में तारीख तक संशोधन लागू करने के लिए विषय नियम, विनियम, दिशानिर्देश, परिपत्रों, द्वारा जारी किए गए सूचनाएं सेबी, भारतीय रिज़र्व बैंक और/ या और अन्य सभी संबंधित अधिकारियों, भारत में या विदेश में, समय-समय पर और विषय के लिए करने के लिए सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 (" लिस्टिंग विनियम ") और लिस्टिंग एग्रीमेंट स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए जहां इक्विटी शेयर / जीडीआर रों बैंक के सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति और बोर्ड द्वारा दी गई है। सेबी, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा/अथवा अन्य दूसरे संबद्ध प्राधिकरण चाहे भारत या विदेश में हो, द्वारा समय-समय पर जारी प्रयोज्य नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं के तहत तथा उन शेयर बाजारों, जहां बैंक के इक्विटी शेयर/जीडीआर सूचीबद्ध किए गए हैं, के साथ किए गए सूचीबद्ध करारों के तहत बोर्ड को बैंक के शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाए और एतद्वारा सहमति प्रदान की जाती है :-

- क. प्रति शेयर रु.1 के इक्विटी शेयरों को ऐसी संख्या में सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित और आबंटित करने, जिनकी राशि रु.20,000 करोड़ (बीस हजार करोड़ रुपए) या ऐसी राशि से अधिक नहीं होगी जैसी भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित की जाएगी, और साथ में यह शर्त रहेगी कि इक्विटी पूंजी में किसी भी समय भारत सरकार की इक्विटी शेयर पूंजी 52% से कम नहीं हो, और ये शेयर पब्लिक इश्यू (अर्थात् इसके बाद पब्लिक में की जाने वाली पेशकश) या राइट्स इश्यू या प्राइवेट प्लेसमेंट जिसमें पात्र संस्थाओं में निवेश (क्यूआईपी)/ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर)/अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर) तथा/अथवा अन्य दूसरे रूप में या उनके किसी मिलेजुले रूप में होंगे, जैसे बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
- ख. इस इश्यू(इन इश्यूज़) की मात्रा और रूप, श्रृंखलाओं की संख्या, कीमत या कीमतें, छूट/प्रीमियम, कर्मचारियों, ग्राहकों, वर्तमान शेयरधारक और/या किसी अन्य व्यक्ति को आरक्षित शेयर और समय अपने विवेकानुसार निर्धारित करना, पर यह निर्धारण लागू नियमों और विनियमों, आईसीडीआर विनियमों तथा विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंधन (नॉन-डेब्ट इंस्ट्रुमेंट) नियम, 2019 डिपॉजिटरी रसीद योजना 2014 तथा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 5(2) के अंतर्गत भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के तहत होगा।

"यह भी संकल्प किया जाता है कि पात्र संस्थाओं में निवेश (क्यूआईपी)/अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ)/अन्य कोई रूप में, जैसे भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, प्रस्तावित और आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर कागज रूप में नहीं होंगे, सिवाय राइट्स इश्यू के जहाँ शेयरों को कागजी और गैर-कागजी रूप में जारी किया जाएगा, और इस प्रकार एनआरआई, एफआईआई तथा/अथवा अन्य पात्र विदेशी संस्थागत निवेशकों को आबंटित किए गए इक्विटी शेयर/जीडीआर/एडीआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/नियमों एवं विनियमों के तहत रहेंगे।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि पात्र संस्थागत निवेश (क्यूआईपी)/अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ)/राइट्स इश्यू/जीडीआर/एडीआर तथा अथवा अन्य किसी रूप में या उनके किसी मिलेजुले रूप में, जैसे भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, प्रस्तावित तथा आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर सभी तरह से बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों की तरह निवेश किया जाएगा और घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि कोई लाभांश घोषित किया जाएगा, तो यह इन पर भी लाभांश मिलेगा।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि क्यूआईपी के मामले में, इक्विटी शेयरों का आबंटन 5% तक की छूट (डिस्काउंट) पर यदि कोई हो या ऐसी कोई छूट जिसे सेबी द्वारा निर्धारित किया जाएगा, केवल पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईपी) को ही किया जाएगा और ऐसे शेयरों का आबंटन इस संकल्प के पारित होने की तिथि से बारह महीने की अवधि के अंदर पूर्ण किया जाएगा तथा संबंधित तिथि समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के प्रावधानों के अनुसार रहेगी।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि शेयरों के निर्गम, आबंटन और उनको सूचीबद्ध करने के लिए उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति और संस्वीकृतियाँ प्रदान करने/संस्वीकृत करने के समय इस प्रस्ताव में इस प्रकार के किसी ऐसे संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं अधिकार बोर्ड के पास रहेगा जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/शेयर बाजार

तथा/अथवा अन्य दूसरे प्राधिकरण चाहे भारत या विदेश में हो, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर/जीडीआर/एडीआर सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध किए जा सकते हैं या अन्य उपयुक्त प्राधिकरण के लिए आवश्यक होंगे या उनके द्वारा लागू किए जाएंगे और जिनके लिए बोर्ड सहमत होगा।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए; बोर्ड को ऐसी सभी कार्रवाईयाँ करने और ऐसे सभी कार्य करने, ऐसे सभी विलेख निष्पादित करने, ऐसे सभी कृत्यों को करने; जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित और वांछनीय समझे जाएंगे; तथा ऐसे किसी मामले जो कि केवल सीमित नहीं है पर केवल ये ही सम्मिलित नहीं हैं यथा मात्रा और रूप, श्रृंखलाओं की संख्या, कीमत या कीमते, छूट/प्रीमियम, कर्मचारियों, ग्राहकों, वर्तमान शेयरधारक और/या किसी अन्य व्यक्ति को आरक्षित शेयर कठिनाई या संदेह का निवारण करने जो इक्विटी शेयरों/जीडीआर/एडीआर के निर्गम के संबंध में उठ सकते हैं, और ऐसे सभी दस्तावेजों और लिखावटों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने जो ठीक, उपयुक्त और वांछनीय होंगे जिनके लिए उसके पूर्ण विवेकाधिकार से शेयरधारकों की अन्य किसी सहमति या अनुमोदन आवश्यकता नहीं होगी; प्राधिकृत किया जाता है या इस उद्देश्य और इसअभिप्राय से प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन स्पष्ट रूप से दिया गया समझा जाए।"

व्याख्यात्मक विवरण

पब्लिक इश्यू (अर्थात् अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) या प्राइवेट प्लेसमेंट जिनमें पात्र संस्थाओं में निवेश (क्यूआईपी)/जीडीआर/एडीआर, और/अथवा अन्य किसी रूप में या उनके मिले जिले रूप में जैसे भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है

भारत में बेसल III पूंजी विनियम को चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित करने के दिशा-निर्देश 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी है। दिशानिर्देशों को 30 सितंबर 2020 से पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा जिसे आरबीआई के द्वारा मार्च 2019 से मार्च 2020 तक फिर सितंबर 2020 तक दो बार स्थगित किया गया था। बैंक का कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 31 मार्च 2020 को 13.06% सीईटी-1 पूंजी 9.77% के साथ था। बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक बासेल 3 के दिशानिर्देशों के अनुरूप न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात रखा जाए। तथापि, लाभ के पुनर्निवेश और आरडब्ल्यूए में संवृद्धि के अनुमानों के आधार पर यह अपेक्षा की जाती है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी। COVID-19 के कारण बढ़ी अनिश्चितता के माहौल में, आरबीआई का विचार है कि अर्थव्यवस्था को समर्थन देने और घाटे को अवशोषित करने की अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए बैंकों को पूंजी का संरक्षण करना चाहिए।

इसके साथ, आस्तियों में अपेक्षित वृद्धि और पूंजी पर्याप्तता अनुपात के निर्धारित स्तर को बनाए रखने के लिए बैंक को पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता है। विशेष रूप से, पूंजी संरक्षण प्रतिरोधक (सीसीबी), अर्थात् सितंबर 2020 तक अतिरिक्त 0.625%। आरबीआई के द्वारा मार्च 2019 से मार्च 2020 तक फिर सितंबर 2020 तक दो बार स्थगित (31.03.2020 के स्तर से ऊपर 1.875 प्रतिशत) प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण देशीय बैंकों (डी-एसआईबी) अर्थात् 0.60 प्रतिशत 01.04.2019 से और प्रति चक्रीय पूंजी प्रतिरोधक स्तर 0%-2.50% जो भारतीय रिज़र्व बैंक के चार तिमाहियों के दिशानिर्देशों पर निर्भर करता है। तदनुसार, चालू वर्ष और आने वाले वर्षों के दौरान व्यवसाय में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अधिक पूंजी, विशेषकर टियर-1 पूंजी की अधिक आवश्यकता है। प्रारंभिक स्तर पर, अंतिम स्थिति वाले पूंजी अनुपात से, वित्त वर्ष 21 की पूंजी आवश्यकताओं के लिए आसान पारगमन सुनिश्चित हो सकेगा।

भारत सरकार सुधार एजेंडा के अनुरूप उत्तरदायी और जिम्मेदार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए, बैंक ने भारत सरकार के अलावा अन्य निवेशकों को साझा इक्विटी जारी करके वित्त वर्ष 2019 और 2020 के दौरान इक्विटी पूंजी को 20,000 करोड़ रुपये की राशि देने के लिए सुधार एजेंडा शुरू किया था। हालांकि, बाजार की स्थिति बाजार से इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए अनुकूल नहीं थी, जिसमें शेयर मूल्य कम मूल्य से बुक वैल्यू तक थी। आगे इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए आरबीआई और भारत सरकार की मंजूरी 31 मार्च, 2020 तक लागू थी जबकि इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी 6 दिसंबर, 2019 को समाप्त हो गई थी। इसलिए, निदेशक मंडल ने एफपीओ/क्यूआईपी/तरजीही आवंटन/ राइट इश्यू/किसी अन्य मोड या इनके संयोजन के माध्यम से बाजार से 20,000 करोड़ रुपये तक इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए वैधता अवधि को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की है।

विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करने और साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखने के बाद, बैंक ने पूंजी जुटाने के लिए बाजार में जाने की योजना बनाई है जिसके लिए वह रु.20,000 करोड़ (बीस हजार करोड़ रुपए) तक या ऐसी राशि जो भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित की जा सकती है, के लिए प्रति शेयर रु.1 के इक्विटी शेयर जारी करेगा परंतु इस शर्त के साथ कि इक्विटी पूंजी में भारत सरकार की शेयरधारिता किसी भी समय 52% से कम नहीं होगी और बाजार से पात्र संस्थान स्थानापन्न (क्यूआईपी)/अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ)/राइट इश्यू/वैश्विक डिपॉजिटरीरसीद/अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद तथा/अथवा अन्य किसी रूप में या उनके संयोजन में जिसे बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, एक या एक से अधिक श्रृंखला में जारी करेगा और साथ में ऐसी निबंधन एवं शर्तें होंगी जो बैंक के श्रेष्ठ हित के लिए उचित समझी जा सकती है। बैंक बाजार से पूंजी जुटाने और उसके तरीके के लिए आरबीआई और भारत सरकार से आवश्यक मंजूरी मांगेगा और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 41 के संदर्भ में, शेयरधारकों के लिए यह आवश्यक है कि वे आनुपातिक आधार पर उन्हें पेश नहीं किए जाने पर किसी और सुरक्षा के मुद्दे को मंजूरी दें। भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित एफपीओ/ निजी प्लेसमेंट/ क्यूआईपी/ जीडीएस/ एडीआरएस/ और/ या उसके संयोजन (एस) के माध्यम से इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए विस्तृत नियम और शर्तों का निर्धारण बोर्ड द्वारा विभिन्न बिचौलियों के परामर्श से किया जाएगा और ऐसे अन्य संबंधित और उपयुक्त प्राधिकरणों को मौजूदा बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करके किया जाएगा।

इस इश्यू से जुटाई गई राशियों का उपयोग; बैंक की दीर्घावधि निधि की आवश्यकताओं को पूरा करने, , बैंक की विकास पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने, बैंक के पूंजीगत व्यय को पूरा करने, निवेश/ऋण और अग्रिम प्रदान करने, अपने दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने और इस प्रकार बैंक और उसकी सहायक कंपनियों और सहयोगियों और अन्य सामान्य बैंकिंग प्रयोजनों के वित्तीय ढांचे को मजबूत करने के लिए जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा और अन्य लागू कानूनों के अनुसार अनुमत है; के लिए किया जाना प्रस्तावित है।

विशेष संकल्प में बोर्ड को इक्विटी शेयर/जीडीआर/एडीआर को एक या अधिक किस्तों में, ऐसे समय या समय पर, ऐसी कीमत या कीमतों पर और ऐसे निवेशकों को जारी करने की शक्तियां प्रदान करना है जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेकानुसार उचित समझे। निदेशक बोर्ड, सभी संबंधित सांविधिक नियमों के अनुपालन के अधीन, सार्वजनिक मुद्दे के माध्यम से प्रस्तावित इक्विटी जुटाने के संबंध में नियामक या किसी अन्य लागू दिशानिर्देश, सूचनाएं और परिपत्र, (यानी आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) या क्यूआईपी या निजी प्लेसमेंट, जिसमें ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (जीडीएस) /अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद (एडीआरएस) और/या किसी अन्य मोड (एस) या उसके संयोजन (एस) को, भारत सरकार और आरबीआई द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार, आपके अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम सुविधा के जरिए आम सभा में हिस्सा लेने और दूर से ई-मतदान सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए मतदान करने के लिए अनुदेश

1. कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 8 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 14/2020, 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 17/2020 तथा 5 मई 2020 के परिपत्र क्रमांक 20/2020 ("एमसीए परिपत्र") और उसके बाद भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिनांक 12 मई 2020 के परिपत्र क्रमांक सेबी/एचओ/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 के अनुसार ईजीएम/एजीएम स्थल पर सदस्यों का प्रत्यक्ष उपस्थित होना जरूरी नहीं है और वार्षिक महासभा (एजीएम) वीडियो कान्फरेंसिंग अथवा अन्य आडियो विजुअल माध्यम से आयोजित की जानी चाहिए। बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुसरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः सदस्य आगामी आम सभा में वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम पर उपस्थित होकर हिस्सा ले सकते हैं, जिसके लिए सदस्यों का एक ही जगह पर प्रत्यक्ष उपस्थित होना जरूरी नहीं है। सभा का अनुमत स्थान बैंक के कॉर्पोरेट केंद्र का स्टेट बैंक सभागार होगा।
2. बैंक के सदस्यों को वीडियो कान्फरेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के कारण भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 34 में निर्धारित किए गए अनुसार प्रॉक्सी की नियुक्ति करने और सदस्यों की ओर से मतदान करने की सुविधा इस आम सभा के लिए उपलब्ध नहीं है। तथापि भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम,

1955 के विनियम 32 एवं 33 में निर्धारित किए गए अनुसार वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम के जरिए आम सभा में उपस्थित होने और ई-मतदान के जरिए अपना मत देने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने हेतु निकाय कॉरपोरेट पात्र होंगे।

3. इस सूचना में उल्लिखित कार्यविधि का पालन करते हुए सदस्य आम सभा शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से सभा में भाग ले सकते हैं। पहले आए, पहले पाए आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से आम सभा में हिस्सा लेने की सुविधा दी जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% अथवा उससे अधिक की शेयरधारिता वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, लेखापरीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आए, पहले पाए की शर्त के बिना आम सभा में हिस्सा लेने की अनुमति है।
4. भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 24 के अंतर्गत कोरम के निर्धारण के प्रयोजन से वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से आम सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों की उपस्थिति मान्य होगी।
5. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) के विनियम 44 (यथा संशोधित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार बैंक आम सभा की कार्यवाही में अपने सदस्यों को दूर से ई-मतदान की सुविधा दे रहा है। इसके लिए बैंक ने नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ प्राधिकृत एजेंसी के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा मुहैया कराने के लिए करार किया है। आम सभा की तारीख अर्थात् 14 जुलाई 2020 को सदस्यों के लिए दूरस्थ ई-मतदान व्यवस्था के इस्तेमाल और सभा स्थल पर मतदान करने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
6. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 17/2020 के अनुरूप आम सभा आयोजित करने की सूचना बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर अपलोड की गई है। इस सूचना को स्टॉक एक्सचेंज यथा बीएसई लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर देखा जा सकता है और आम सभा संबंधी सूचना एनएसडीएल (दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
7. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों का अनुपालन करते हुए आम सभा का आयोजन वीसी/अन्य विजुअल माध्यम के जरिए किया जा रहा है। स्थितियाँ अनुकूल होने और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आम सभा के आयोजन के लिए अनुमति दिए जाने पर भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के अनुसार सभा आयोजित की जाएगी।
8. भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 7 के अनुसार संयुक्त धारकों के मामले में वह सदस्य जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार सबसे पहले हो, आम सभा में मतदान करने का पात्र होगा, बशर्ते कि मत दूर से ई-मतदान के जरिए न डाला जा चुका हो।
9. वे सदस्य जो वीसी के जरिए उपस्थित होना चाहते हैं और जो दूर से ई-मतदान नहीं करना चाहते हैं, उन्हें आम सभा में ई-मतदान के जरिए मत देने की अनुमति दी जाएगी।

सदस्यों के लिए दूर से ई-मतदान करने के अनुदेश नीचे दिए गए हैं:-

दूर से ई-मतदान की अवधि 10 जुलाई, 2020 को भारतीय समय के अनुसार प्रातः 10 बजे शुरू होगी और 13 जुलाई, 2020 को शाम 5 बजे समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा दूर से ई-मतदान मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा एक बार मतदान किए जाने के बाद मत को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उपर्युक्त अवधि के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 31 में निर्धारित तारीख को कागज़ रूप में अथवा कागज़रहित रूप में शेयर रखने वाले बैंक के सदस्य दूर से ई-मतदान द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं।

एनएसडीएल की ई-मतदान प्रणाली के इस्तेमाल से मैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकता/सकती हूँ?

एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था का इस्तेमाल करके मतदान करने की प्रक्रिया "दो चरण" की है, जो नीचे दी गई है :

चरण 1 : <https://www.evoting.nsdl.com/> पर एनएसडीएल की ई-मतदान प्रणाली पर लॉग-इन करें

चरण 2 : एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करें

चरण 1 के विवरण नीचे दिए गए हैं:

एनएसडीएल की ईमतदान प्रणाली पर कैसे लॉग इन करें-?

1. एनएसडीएल की ई मतदान वेबसाइट देखें। पर्सनल कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर-
<https://www.evoting.nsdl.com/> यूआरएल टाइप कर वेब ब्राउज़र खोलें।
2. ई मतदान व्यवस्था का होम पेज आते ही-"लॉगइन-" आइकॉन पर क्लिक करें, जो "शेयरहोल्डर्स" भाग में उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको स्क्रीन पर दर्शाए गए अनुसार अपना यूजर आईडी, पासवर्ड एवं वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा।

आपने एनएसडीएल की ईसेवाओं अर्थात् आईडीईएस के लिए पंजीकरण किया है-, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएस लॉग इन से-<https://eservices.nsdl.com> पर लॉगइन विवरण से -इन कर सकते हैं। अपने लॉग-2-मतदान पर क्लिक करें और आप चरण-इन करते ही ई-सेवाओं पर लॉग-एल की ईएनएसडीके अनुसार अपना इलेक्ट्रॉनिक मतदान कर सकते हैं।

4. आपकी यूजर आईडी के विवरण नीचे दिए गए हैं:

शेयर किस रूप में हैं अर्थात् कागज़रहित/डीमैट (एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल) अथवा कागज़ में	आपका यूजर आईडी :
क) वे सदस्य, जिनके शेयर एनएसडीएल में डीमैट खाते में हैं	8 कैरेक्टर डीपी आईडी उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक-आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** है और ग्राहक आईडी 12***** है, तो आपका यूजर आईडी होगा IN300***12*****
ख) वे सदस्य, जिनके शेयर सीडीएसएल में डीमैट खाते में हैं	16 अंकों का लाभार्थी का आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12***** है, तो आपका यूजर आईडी होगा 12*****
ग) कागज़ रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	सम संख्या उसके बाद बैंक के पास पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए, यदि आपका फोलियो नंबर 001*** है और सम संख्या 101456 है तो यूजर आईडी होगा 101456001***

5. आपके पासवर्ड के विवरण नीचे दिए गए हैं :

क) यदि आपने ई-मतदान के लिए पहले से ही पंजीकरण कराया है, तो आप लॉगइन करने के लिए वर्तमान पासवर्ड का

इस्तेमाल कर अपना मतदान कर सकते हैं।

ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको प्रारंभ में सूचित पासवर्ड को रिट्रीव करना होगा। प्रारंभिक पासवर्ड को रिट्रीव करते ही आपको प्रारंभिक पासवर्ड दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहेगा।

ग) अपने प्रारंभिक पासवर्ड को कैसे रिट्रीव करें?

(i) यदि आपका ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाते अथवा बैंक के पास पंजीकृत है, तो प्रारंभिक पासवर्ड की सूचना आपको आपके ई-मेल आईडी पर दी जाएगी। अपने मेल बॉक्स से एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को ढूँढ लें। ई-मेल खोलकर उसकी अटैचमेंट अर्थात् पीडीएफ फाइल खोलें। एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, कागज़ रूप से धारित शेयरों के सीडीएसएल खाते का 8 अंकों का ग्राहक आईडी अथवा फोलियो नंबर ही पीडीएफ फाइल खोलने का पासवर्ड होगा। पीडीएफ फाइल में आपका यूजर आईडी और प्रारंभिक पासवर्ड होगा।

(ii) यदि आपका ई-मेल पंजीकृत नहीं है, तो नीचे ई-मेल पंजीकृत न करने वाले शेयरधारकों के लिए दिए गए चरणों का अनुसरण करें।

6. यदि आप “प्रारंभिक पासवर्ड” रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं अथवा वह आपको नहीं मिला है अथवा आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो :

क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध “Forgot User Details/Password?” पर क्लिक करें। (यदि एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के डीमैट में आपके शेयर हैं)

ख) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध “Physical User Reset Password?” पर क्लिक करें। (यदि आपके शेयर कागज़ रूप में हैं)

ग) उपर्युक्त दोनों विकल्पों के द्वारा पासवर्ड पाने में असमर्थ होने पर आप evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध अपने डीमैट खाता नंबर/फोलियो नंबर, पैन नंबर, नाम एवं पंजीकृत पते का विवरण देते हुए भेज सकते हैं।

घ) एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था से मतदान करने के लिए सदस्य ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगइन का उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद “टर्म्स एंड कंडीशंस” का चयन करें और उनसे सहमत होने पर चैक बॉक्स में टिक का निशान लगाएँ।

8. अब आपको “लॉगइन” बटन पर क्लिक करना होगा।

9. “लॉगइन” बटन पर क्लिक करने के बाद ई-मतदान का होम पेज खुलेगा

चरण 2 की जानकारी नीचे दी गई है :

एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था पर कैसे अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर दें?

1. चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद आप ई-मतदान का होम पेज देख पाएंगे। ई-मतदान पर क्लिक करें। उसके बाद एक्टिव वोटिंग साइकल्स पर क्लिक करें।
2. एक्टिव वोटिंग साइकल्स पर क्लिक करने के बाद आप उन सभी “ईवीईएन” कंपनियों को देख पाएंगे, जिनके शेयर आपके पास हैं और जिनकी वोटिंग साइकल एक्टिव स्टेटस में है।
3. बैंक के “ईवीईएन” का चयन करें, जिसे आप अपना मत देना चाहते हैं।
4. वोटिंग पेज खुल जाने पर आप ई-मतदान के लिए तैयार हैं।
5. उपर्युक्त विकल्प अर्थात् एसेंट अथवा डिसेन्ट, का चयन कर, उन शेयरों की संख्या की जांच/संशोधन करें जिनके लिए आप अपना मत देना चाहते हैं, अपना मत दें, और “सबमिट” पर क्लिक करें। कहे जाने पर “कनफर्म” पर भी क्लिक करें।

6. पुष्टि के बाद “सफलतापूर्वक मतदान किया गया” संदेश दिखाई देगा।
7. कनफर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प को क्लिक कर आप अपने मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
8. रिसोल्यूशन पर अपने मतदान की पुष्टि के बाद आपको अपने मतदान में संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्ति, हिंदू अविभाज्य परिवार, अनिवासी भारतीय आदि से भिन्न) से अपेक्षा की जाती है कि वे मतदान करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के नमूना हस्ताक्षर से विधिवत सत्यापित संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति संवीक्षक (Scrutinizer) को info@mehta-mehta.com पर मेल से भेज दें। इसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in को भी भेज दें।
2. आपको हिदायत दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पाँच असफल प्रयासों के बाद ई-मतदान के लॉगइन को डिसेबल कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको www.evoting.nsdl.com पर पासवर्ड रीसेट करने के लिए उपलब्ध विकल्प “Forgot User Details/Password?” अथवा “Physical User Reset Password?” का चयन करना होगा।
3. संदेह होने पर आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड भाग में उपलब्ध शेयरधारकों द्वारा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न तथा शेयरधारकों के ई-मतदान यूजर मैनुअल को देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर फोन कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in अथवा amitv@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पर श्री अमित विशाल, सीनियर मैनेजर अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, मैनेजर, एनएसडीएल को अपना अनुरोध भेज सकते हैं अथवा टेलीफोन नंबर +91-22-24994360 अथवा +91-9920264780 अथवा +91-22-24994545 पर फोन कर सकते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए मतदान से संबंधित शिकायतों का समाधान भी करेंगे।

यूज़र आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने और इस सूचना में दिए गए संकल्प के ई-मतदान हेतु ई-मेल के पंजीकरण के लिए डिपॉजिटरियों के साथ अपना ई-मेल पंजीकृत न कराने वाले शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया:

1. शेयर कागज़ रूप में होने पर कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति) ईमेल से investor.complaints@sbi.co.in को भेज दें।
2. शेयर कागजरहित रूप में होने पर कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी अथवा 16 अंक वाला लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति) ईमेल से investor.complaints@sbi.co.in को भेज दें।
3. वैकल्पिक रूप से सदस्य बिंदु (1) अथवा (2), जैसी भी स्थिति हो, में उल्लिखित विवरण उपलब्ध कराकर यूज़र आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं।

आमसभा के दिन ई-मतदान करने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं-

1. आमसभा के दिन ई-मतदान करने की कार्यविधि ऊपर दूर से ई-मतदान करने के लिए उल्लिखित अनुदेशों के समान ही है।
2. वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम सुविधा के जरिए आमसभा में उपस्थित होने वाले सदस्य/शेयरधारक एवं जिन्होंने दूर से ई-मतदान के जरिए संकल्प पर अपना मतदान नहीं किया है तथा जिन्हें ऐसा करने से अन्यथा विवर्जित

न किया गया हो, आमसभा सभा में ई-मतदान के जरिए मतदान करने के पात्र होंगे। सदस्य भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 31 के अनुसार मतदान करने के पात्र होंगे।

3. दूर से ई-मतदान करने वाले सदस्य आमसभा में हिस्सा लेने के पात्र होंगे। परंतु वे आमसभा के दिन मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

4. आमसभा के दिन ई-मतदान करने की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का पता आदि वही होगा, जो दूर से ई-मतदान के लिए दिया गया है।

5. बैंक को प्रत्यक्ष रूप से आमसभा आयोजित करने की अनुमति मिल जाने पर उन सदस्यों को टैबलेट के जरिए मतदान करने की सुविधा दी जाएगी, जिन्होंने इससे पहले दूर से ई-मतदान नहीं किया है।

वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से आमसभा में हिस्सा लेने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश नीचे दिए गए हैं:

1. एनएसडीएल ई-मतदान व्यवस्था के जरिए वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से आमसभा में हिस्सा लेने की सुविधा सदस्य को दी जाएगी। दूर से मतदान के विवरण दर्ज कर शेयरधारक/सदस्यों के लॉगइन के तहत <https://www.evoting.nsdl.com> पर भी सदस्य यह सुविधा पा सकते हैं। शेयरधारक/सदस्यों के लॉगइन के तहत वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम का लिंक उपलब्ध है, जहां बैंक के ईवीईएन की जानकारी दी गई है। कृपया नोट कर लें कि वे सदस्य जिनके पास ई-मतदान का आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा जो आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, सूचना में दूर से ई-मतदान करने के अनुदेशों का पालन कर अपने आईडी और पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं, जिससे ऐन समय पर भागदौड़ न करनी पड़े। इसके अलावा सदस्य एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था पर लॉगइन के लिए ओटीपी आधारित लॉगइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

2. बेहतर अनुभव के लिए सदस्यों को लैपटॉप के जरिए सभा से जुड़ने की सलाह दी जाती है।

3. सभा के दौरान किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए सदस्यों को अच्छी स्पीड वाले इन्टरनेट का इस्तेमाल करना होगा।

4. कृपया नोट कर लें कि मोबाइल डिवाइस अथवा टैबलेट अथवा लैपटॉप से मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क के बार बार बंद होते रहने पर आडियो/वीडियो सुविधा भी रुक सकती है। इसलिए उपर्युक्त किसी प्रकार की अड़चन की संभावना को कम करने के लिए स्टेबल वाई-फाई अथवा लाइन कनेक्शन इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाता है।

5. आमसभा के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने के लिए इच्छुक शेयरधारक वक्ता के रूप में पंजीकरण करवा सकते हैं। वे 14 जुलाई 2020 को अपराह्न 3.00 बजे आमसभा शुरू होने से पहले अपना नाम, डीमैट खाता नंबर/फोलियो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपना अनुरोध investor.complaints@sbi.co.in को भेज सकते हैं।

6. वक्ता के रूप में पंजीकृत कराने वाले शेयरधारकों को ही अपने विचार बताने/प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी। इनका उपयुक्त उत्तर बैंक द्वारा दिया जाएगा।

मतदान अधिकारों का निर्धारण :- भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 11 में दिए गए प्रावधानों के अधीन आमसभा की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को उसके द्वारा धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए इस सभा में एक वोट देने का अधिकार होगा। प्रत्येक शेयरधारक (केंद्र सरकार से भिन्न) जो उपर्युक्त अनुसार मतदान करने के पात्र हैं, को ऐसी सभा की तारीख से पहले तीन महीने की अवधि अर्थात् 13.04.2020 तक धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए एक वोट देने का अधिकार होगा।

संवीक्षक (Scrutinizer) आमसभा में मतदान के तुरंत बाद, सर्वप्रथम आमसभा के दौरान डाले गए मतों की गिनती करेगा, उसके बाद ई-मतदान से डाले गए मतों को अनब्लॉक करेगा। आमसभा की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर पक्ष अथवा विपक्ष में डाले गए कुल वोटों पर संवीक्षक (Scrutinizer) की समेकित रिपोर्ट अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी, जो इस पर प्रति हस्ताक्षर (काउंटर साइन) करेगा।

संवीक्षक (Scrutinizer) रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तुरंत बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in एवं एनएसडीएल की वेबसाइट <https://evoting.nsdl.com> पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके साथ ही बैंक परिणाम को नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बीएसई लिमिटेड, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, को भेज दिया जाएगा।

रजनीश कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./54/2020-21]

STATE BANK OF INDIA

(Constituted under the State Bank of India Act, 1955)

NOTICE

Mumbai, the 10th June, 2020

F. No. CC/S&B/SA/79—NOTICE IS HEREBY GIVEN that a General Meeting of the Shareholders of State Bank of India will be held on Tuesday, the 14th July, 2020 at 3.00 p.m. at the State Bank Auditorium, State Bank Bhavan Complex, Madame Cama Road, Mumbai – 400021 (Maharashtra). If the conditions are not conducive and the local authorities do not permit to hold physical General Meeting, the Meeting will be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) facility to transact the following business:

To consider and if thought fit, pass with or without modification(s), the following resolutions(s) as a **special resolution**:

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the State Bank of India Act, 1955 (hereinafter referred to as the ‘Act’) read with the State Bank of India General Regulations, 1955 and subject to the approval(s), consent(s) and sanction(s), if any, of Reserve Bank of India (‘RBI’), Government of India (‘GoI’), Securities and Exchange Board of India (‘SEBI’), and / or any other concerned and appropriate authority(ies), whether in India or abroad, as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them, if any, in granting such approval(s), consent(s) and sanction(s) and which may be agreed to by the Central Board of Directors (hereinafter called “**the Board**” which shall be deemed to include the Executive Committee of the Central Board constituted under Section 30 of the Act read with Regulation 46 of the State Bank of India General Regulations, 1955), and any other Committee of Directors constituted under section 30 of the Act duly authorized by the Central Board to exercise its powers (including the powers conferred by this resolution) of the Bank and subject to regulations viz. SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (“**ICDR Regulations**”) as amended up to date, subject to applicable Rules, Regulations, Guidelines, Circulars, Notifications issued by SEBI, RBI and/or and all other relevant authorities, whether in India or abroad, from time to time and subject to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“**Listing Regulations**”) and Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where the equity shares/GDRs of the Bank are listed, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board :-

- a. to create, offer, issue and allot, such number of Equity Shares of Re.1 each, for an amount not exceeding Rs.20,000 crores (Rupees Twenty Thousand crores) (including premium, if any) or such amount as approved by GoI & RBI subject to the condition that the Government of India shareholding in equity share capital of the Bank does not fall below 52% at any point of time, by way of public issue (i.e. Follow-on-Public Offer) or Private Placement, including Qualified Institutional Placement (QIP) /Global Depository Receipt (GDRs) / American Depository Receipt (ADRs) and/or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as may be decided by the Board.
- b. to decide the quantum & mode(s), number of tranches, price or prices, discount/premium, reservations to employees, customers, existing shareholders and / or any other persons as decided by the Board and as provided under ICDR Regulations and the timing of such issue(s), at its discretion subject to Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 and the Depository Receipts Scheme, 2014 and all other applicable Rules and Regulations and subject to GoI & RBI approval under Section 5(2) of the State Bank of India Act, 1955.

“RESOLVED FURTHER THAT the equity shares to be offered and allotted by way of QIP/FPO/Right issue/ any other mode, as approved by GoI and RBI shall be in dematerialized form and the equity shares/GDR/ADR so issued and allotted to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors shall be subject to the Guidelines/Rules & Regulations issued by RBI.”

“RESOLVED FURTHER THAT the equity shares to be offered and allotted by way of QIP/FPO/GDR/ADR and /or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as approved by GoI and RBI shall rank pari-passu with the existing equity shares of the Bank in all respects and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory provisions/guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP, the allotment of equity shares shall only be made to Qualified Institutional Buyers (QIBs) on a discount not exceeding 5%, if any on the price determined in accordance with the pricing formula under ICDR Regulations or such discount as may be specified by SEBI and the allotment of such shares shall be completed within a period of twelve months from the date of passing of the resolution and the relevant date shall be in accordance with the provisions of ICDR Regulations as amended from time to time.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or may be imposed by the GoI/RBI/SEBI/ Stock Exchanges and/or any other authority, whether in India or abroad, where the equity shares/GDR/ADR of the Bank are listed or may be listed, or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approval(s), consent(s), permission(s) and sanction(s) for the issue(s), allotment(s), listing(s) and trading(s) thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board be and is hereby authorized to take all such actions and do all such acts, deeds, and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable including but not limited to decide on price or prices, discount / premium, reservations to employees, customers, existing shareholders and / or any other persons as decided by the Board and as provided under SEBI regulations of issue(s) and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue(s) of the equity shares/GDR/ADR and finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any other consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution”

EXPLANATORY STATEMENT

Public Issue [i.e. Follow-on-Public Offer (FPO)] or Private Placement including QIP, GDR/ADR, and /or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as approved by GoI and RBI

The Guidelines on implementation of Basel III capital requirements in India have become effective from 1st April, 2013 in a phased manner. The Guidelines will be fully phased in as on 30th September, 2020, deferred twice by RBI from March 19 to March 20 & March 20 to September 20. The Bank's overall Capital Adequacy Ratio (CAR), as on 31st March, 2020, stands at 13.06%, with CET-I Capital at 9.77%. The Central Board of the Bank has decided that the Bank should maintain minimum Capital Adequacy Ratios in line with the RBI Basel III transitional arrangements. However, based on the assumptions of growth in Risk Weighted Assets (RWA) and plough back of profits, the Bank may require to raise additional Capital during FY 2020-21. In an environment of heightened uncertainty caused by COVID-19, the RBI is of the view that the Banks must conserve capital to retain their capacity to support the economy and to absorb losses.

Further, the Bank requires adequate Capital to match the anticipated growth in assets and comply with stipulated level of capital adequacy, especially on account of requirement of the Capital Conservation Buffer (CCB) i.e. Additional 0.625% by Sep 20, twice deferred by RBI from March 19 to March 20 & March 20 to September 20 (over and above the existing 1.875% as on 31.3.2020), Domestic Systemically Important Bank (D-SIB) i.e. 0.60% w.e.f. 1.4.2019 & Counter Cyclical Capital Buffer (CCCB) in the range of 0%- 2.50% depending on RBI announcement which may come with a lead time of 4 quarters. Accordingly, considering the business growth during the current year as well as that for the years to come, there is a need for higher capital, particularly, Tier-I capital targeting the end state Capital ratios, at the initial stage, will ensure smooth transition to FY21 Capital requirements.

In line with the Government of India Reform Agenda for Responsive and Responsible PSBs, the Bank had undertaken reform agenda to optimally raise equity capital during the FY 2019 and 2020 amounting to Rs.20,000 crore by issuance of common equity to investors other than GoI. However, the market conditions were not conducive for raising equity capital from market with lower share price to book value. The RBI and GoI approval for raising further equity capital was in place till 31st March, 2020 while the shareholders' approval for raising equity capital expired on 6th December, 2019. Therefore, the Board of Directors has accorded approval for extension of the validity period for raising equity capital upto Rs.20,000 crore from the Market by way of FPO/QIP/Preferential allotment/Right issue/any other mode or a combination of these, till 31st March, 2021.

After evaluating the various available alternatives, as well as taking into consideration the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has planned to access capital market to raise capital, by issuing equity shares of Re.1 each, up to an amount of Rs.20,000 crore (Rupees twenty thousand crore) or such amount as may be approved

by GoI and RBI subject to the condition that the Government of India shareholding in share capital of the Bank does not fall below 52% at any point of time, by way of Qualified Institutions Placement (QIP) /Further Public Offer (FPO) / Private Placement/Global Depository Receipt (GDRs) / American Depository Receipt (ADRs)/ and/ or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as may be decided by the Board, in one or more tranches, subject to such terms and conditions as may be felt appropriate in the best interest of the Bank. The Bank will seek necessary approval from RBI and GoI for raising capital from the market and the mode thereof and in terms of Regulation 41 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security if not offered to them on a proportionate basis. The detailed terms and conditions for issue of equity shares by way of FPO / Private placement/QIP/ GDRs /ADRs/ and/or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as approved by GoI and RBI will be determined by the Board in consultation with various intermediaries and such other concerned and appropriate authorities as may be required by considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

The proceeds of the issue(s) are proposed to be used to meet long term funding requirements of the Bank, Bank's growth capital requirements, to meet the Bank's capital expenditure, making investments/providing loans and advances, enhance its long term resources and thereby strengthening the financial structure of the Bank and its subsidiaries and associates and other general banking purposes as permitted by RBI and other applicable laws.

The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares/ GDR/ ADR in one or more tranches, at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit. The Board of Directors, subject to compliance of all related statutory, regulatory or any other applicable Guidelines, Notifications and Circulars in connection with the proposed equity raising by way of public issue [(i.e. Further Public offer (FPO)] or QIP or Private Placement, including Global Depository Receipt(GDRs) / American Depository Receipt (ADRs) and/or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as approved by GoI & RBI, recommends for your approval the Special Resolution mentioned in the Notice.

General instructions for accessing and participating in the General Meeting through VC/OAVM Facility and voting through electronic means including remote e-Voting

1. In view of the massive outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing is a norm to be followed and pursuant to the Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), physical attendance of the Members to the EGM/AGM venue is not required and annual general meeting (AGM) be held through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM). The Board of Directors of the Bank has decided to adopt the above guidelines issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI in conducting General Meeting of the Bank. Hence, Members can attend and participate in the ensuing General Meeting through VC/OAVM, which may not require physical presence of members at a common venue. The deemed venue for the meeting shall be State Bank Auditorium, Corporate Centre of the Bank.
2. In view of the VC facility being provided to the members of the Bank, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members as provided in Regulation 34 of SBI General Regulations, 1955 is not available for this General Meeting. However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives as provided in Regulation 32 and 33 of SBI General Regulations, 1955 to attend the General Meeting through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.
3. The Members can join the General Meeting in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the General Meeting through VC/OAVM will be made available for at least 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the General Meeting without restriction on account of first come first served basis.
4. The attendance of the Members attending the General Meeting through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 24 of SBI General Regulations, 1955.
5. Pursuant to the provisions Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) read with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, (as amended), and the MCA Circulars the Bank is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the General Meeting. For this purpose, the Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well as venue voting on 14th July, 2020 the date of the General meeting will be provided by NSDL.

6. In line with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the General Meeting has been uploaded on the website of the Bank at www.sbi.co.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the General Meeting Notice is also available on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com.
7. General Meeting has been convened through VC/OAVM in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020 and if conditions are conducive and the local authorities permit for conducting the General Meeting, Meeting may be convened in terms of SBI Act and SBI General Regulations, 1955.
8. In terms of Regulation 7 of SBI General Regulations, 1955 in case of joint holders, the Member whose name appears first as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote at the General Meeting provided the votes are not already cast through remote e-voting.
9. Members who opt to be present through VC and who do not cast their vote through remote e-voting will be allowed to vote through e-voting at the General Meeting.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:-

The remote e-voting period commence on 10th July, 2020 at 10:00 A.M. IST and end on 13th July, 2020 at 5:00 P.M. IST. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

During the above period, Members of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut off date as provided in Regulation 31 of SBI General Regulations, 1955 may cast their vote by remote e-voting.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Log-in to NSDL e-Voting system at <https://www.evoting.nsdl.com/>

Step 2: Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.

Details on Step 1 is mentioned below:

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholders' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example, if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example, if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Bank. For example, if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Your password details are given below:

- a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
- b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
- c) How to retrieve your 'initial password'?
 - (i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8-digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
 - (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process **for those shareholders whose email ids are not registered.**

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:

- a) Click on "**Forgot User Details/Password?**" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
- b) **Physical User Reset Password?** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
- c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.
- d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Details on Step 2 is given below:

How to cast your vote electronically on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.
2. After click on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.
3. Select "EVEN" of Bank for which you wish to cast your vote.
4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
5. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
6. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to info@mehta-mehta.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in

the correct password. In such an event, you will need to go through the “[Forgot User Details/Password?](#)” or “[Physical User Reset Password?](#)” option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Mr. Amit Vishal, Senior Manager or Ms. Pallavi Mhatre, Manager NSDL at evoting@nsdl.co.in ; or amitv@nsdl.co.in; or pallavid@nsdl.co.in or at telephone Nos. +91-22- 24994360 or +91-9920264780 or +91-22-24994545 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolution set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investor.complaints@sbi.co.in
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to investor.complaints@sbi.co.in.
3. Alternatively member may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by providing the details mentioned in Point (1) or (2) as the case may be.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE GENERAL MEETING ARE AS UNDER: -

1. The procedure for e-Voting on the day of the General Meeting is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the General Meeting through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the General Meeting. The Members are entitled to vote in terms of Regulation 31 of the SBI General Regulations, 1955.
3. Members who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the General Meeting. However, they will not be eligible to vote at the General Meeting.
4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the General Meeting shall be the same person mentioned for remote e-voting.
5. In case, if Bank gets permission to conduct physical general meeting, voting through tablets will also be made available to members who have not earlier voted through remote e-Voting.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Member will be provided with a facility to attend the General Meeting through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access the same at <https://www.evoting.nsdl.com> under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVEN of the Bank will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush. Further members can also use the OTP based login for logging into the e-Voting system of NSDL.
2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
3. Further, Members will be required to use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
5. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker may send their request mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor.complaints@sbi.co.in in advance before the start of general meeting on 14th July, 2020 at 3.00 p.m.
6. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions. The same will be replied by the Bank suitably.

Determination of voting rights:- Subject to the provisions contained in section 11 of the SBI Act, each shareholder who has been registered as a shareholder for a period of not less than three months prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote for each fifty shares held by him or it. Every shareholder [other than the

Central Government] entitled to vote as aforesaid who, shall have one vote for each fifty shares held by him or it for the whole period of three months prior to the date of such meeting i.e. 13.04.2020.

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the General Meeting, first count the votes cast during the General Meeting, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and make, not later than 48 hours of conclusion of the General Meeting, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same.

The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.sbi.co.in and on the website of NSDL <https://www.evoting.nsdl.com> immediately. The Bank shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Bank are listed.

RAJNISH KUMAR, Chairman
[ADVT.-III/4/Exty./54/2020-21]